Amendments in Anti-Defection Law

829. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are considering any amendments in the present Anti-Defection Law;

(b) if so, the details of the proposed/ intended amendments;

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) The Government would consider giving effect to such measures/ amendments for strengthening the anti-defection law on which consensus emerges amongst political parties.

Census of Minorities

830. SHRI V.P. DURAISAMY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that a number of States are conducting census of the minority people, especially that of Christians;

(b) if so, the reasons which necessitated the State Governments to carry out such census;

(c) whether Central Government have given any permission to States for this purpose; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (d) The national census is due to be undertaken all over the country in February 2001. It is, therefore, premature to conduct any census at this stage. However, Govt. have received reports that the police authorities in Gujarat have issued instructions seeking information about Christians and other minorities for purposes of maintenance of peace and order.

भारत में विदेशी मिशनरी

831. श्री खान गुफरान जाहिदी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में विदेशी मिशनरियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन मिशनरियों की कार्य-प्रणाली के संबंध में सरकार द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार 1085 पंजीकृत विदेशी मिशनरियां भारत में रह रहीं थीं।

(ख) और (ग) भारत में मिशनरियों की कार्य-प्रणाली के बारे में निम्नलिखित दिशा-निर्देश विद्यमान हैं:—

(I) नीति के अनुसार, केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना भारत में कोई नया विदेशी मिशनरी केन्द्र नहीं खोला जा सकता है।

(II) सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना मिशनरियों को नया वीजा नहीं दिया जाता है। तथापि, मिशनरियों को वीजा केवल रिपलेसमेंट के रूप ही दिया जाता है।

(III) 20 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रही मिशनरियों की ठहरने की समयावधि सामान्यतः राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासनों द्वारा समय-समय पर बढ़ाई जाती है। अन्य मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

होमगार्डों के लिये प्रोन्नति के अवसर

832. श्री जनेश्वर मिश्रः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में में कार्यरत होमगार्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि होमगार्डों को 15-16 वर्षों की सेवा के बाद भी नौकरी से हटाया जा सकता है और उन्हें कोई प्रोन्नति नहीं मिलती है और सेवा के दौरान उनकी स्वाभाविक मृत्यु के बाद उनके परिवार को केवल 8700/- रुपए दिये जाते हैं और उनके परिवार को न तो कोई पेंशन मिलती है न ही मरणोपरांत कोई लाभ मिलते हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि वेतन आयोग द्वारा उनके संबंध में दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) इस संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए) (ख) और (ग) होमगार्ड एक स्वयं-सेवी संगठन है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित, माडल होम गार्ड अधिनियम/नियमों में होम गार्ड स्वयं सेवकों के लिए तीन वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है। यह भी निर्धारित है कि होम गार्ड के स्वयं सेवक पुनर्नामांकन हेतु पात्र होंगे। इसमें आगे यह प्रावधान है कि होम गार्ड के स्वयं सेवकों को लम्बी अवधि के लिए नहीं रोका जाना चाहिए ताकि संगठन के स्वयं सेवी स्वरूप को बनाए और संरक्षित रखा जा सके। राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के होम गार्ड अधिनियमों और नियमों में उनके स्वयं सेवकों के लिए अलग-अलग सेवा अवधि का प्रावधान है। होम गार्ड स्वयंसेवक कम्पनी के स्तर तक पदोन्नति के पात्र हैं बशर्ते कि वे उसके पात्र हों और इस पदोन्नति के लिए उपयुक्त हों।

केन्द्र सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह परामर्श दिया गया है कि होम गार्ड स्वयंसेवकों जिनकी प्रशिक्षण/ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है अथवा जख्मी हो जाते हैं, को उसी आधार पर मृत्यु एवंम जख्मी होने का लाभ दिया जाय जो इसी प्रकार के अभियान में कार्यरत पुलिस कार्मिक को मिलता है।

स्वयंसेवक होने के कारण, होम गार्ड पेंशन प्राप्ति के हकदार नहीं हैं और इन पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती हैं।

विवरण

देश में कार्यरत होमगार्डों का राज्यवार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	होम गार्डों की प्राधिकृत संख्या	होम गार्डों की स्थापित संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	654	654
2.	आंध्र प्रदेश	12903	12792
3.	अरुणाचल प्रदेश	1605	अभी स्थापित की जानी है
4.	असम	20407	16376
5.	बिहार	77402	130
6.	चंडीगढ़ (संघ शासित)	1132	1132
7.	दादरा और नगर हवेली (संघ शासित)	125	122
8.	दमन और द्वीप (संघ शासित)	100	100
9.	दिल्ली	10285	9886
10.	गोवा	500	288
11.	गुजरात	49808	38792
12.	हरियाणा	14025	13108
13.	हिमाचल प्रदेश	8000	7000
14.	जम्मू और कश्मीर	4308	1554
15.	कर्नाटक	18700	16040
16.	लक्षद्वीप (संघ शासित)	55	अभी स्थापित की जानी है
17.	मध्य प्रदेश	22900	18465
18.	महाराष्ट्र	56100	39160
19.	मणिपुर	3394	1200
20.	मेघालय	2538	1932
21.	मिजोरम	760	760
22.	नागालैंड	2100	2100

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	होम गार्डों की प्राधिकृत संख्या	होम गार्डों की स्थापित संख्या
23.	उड़ीसा	16362	11425
24.	पांडिचेरी (संघ शासित)	440	290
25.	पंजाब	34595	34151
26.	राजस्थान	28050	27145
27.	सिक्किम	546	546
28.	तमिलनाडु	11622	9746
29.	त्रिपुरा	4207	2773
30.	उत्तर प्रदेश	123420	119706
31.	पश्चिम बंगाल	46750	22704

पूर्वोत्तर में गैर-आदिवासी हिंदुओं और मुसलमानों की समस्याएं

833. श्री जनेश्वर मिश्र: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेषकर मेघालय में गैर-आदिवासियों, हिन्दुओं और मुस्लिमों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, 1993 के प्रस्तावित निरसन के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने, 4.2.1999 को प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान, असम और मेघालय में अल्पसंख्यकों को सामने आ रही समस्याओं के बारे में उन्हें मौखिक रूप से बताया था। तथापि, इस संबंध में आयोग द्वारा केन्द्र या संबंधित राज्य सरकारों को कोई लिखित रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, द्वितीय सांविधिक आयोग (नवम्बर, 1996, नवम्बर, 1999) कार्यालय में दो वर्ष का काल" उपलब्धियां और असफलताएं, भावी योजनाएं और देश में वर्तमान अल्पसंख्यक स्थिति का मूल्यांकन नामक दस्तावेज की एक प्रति प्रधान मंत्री को भी भेजी है। इस रिपोर्ट में आयोग ने राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक अवधारणा और हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के रूप में मानने जो जम्मू और कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड राज्यों और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में हिन्दुओं को अल्पसंख्यकों के रूप में मानने और अपने क्षेत्राधिकार को पाने की हकदारी का उल्लेख किया है।

(ग) आई०एस०(डी०टी०) अधिनियम, 1993 को निरस्त करने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

Organisations Receiving Foreign Funds

834. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total amount of funds received from foreign countries during the last three years and till date by religious, social and volutary organisations functioning in the country, year-wise; and

(b) whether such organisations have so far intimated to Government about the receipt/utilisation of said funds by them in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) According to the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, associations having a definite cultural, economic, educational, religious or social programme can accept foreign contribution only after they are granted